

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ दिनांक 09/08/2021

: कार्यालय जाप :-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, अप्रो सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, अप्रो सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2087-SUN INSTITUTE OF PHARMACY 7TH KM MILE STONE BAREILLY ROAD NH-24,HAZI NAGLA, SHAHJAHANPUR-242001.

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के

अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्गटेड छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काद दायर किया जाता है तथा दायर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जात है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश नखनऊ।**

संख्या:- प्राविप/परिषद सन्बद्धता/2023/12090001

नखनऊ दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय बायोटेकनॉलॉजी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित कर 2023-24 हेतु पूर्व में सम्पन्न विनियमन संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं को अनुसरण किया गया किने जाने के अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ- 3 के संयुक्त से सम्बद्धता विभाग द्वारा किए जाने के कारण से अतः दिनांक 23-07-2023 को दिनांक 02-08-2023 को विशेष कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। साथ ही कर 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय बायोटेकनॉलॉजी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को अपर अनुबंधन विभाग एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्देश के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विनियमन करने किने जाने का निर्देश किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिख में लिख में निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 30 नखनऊ द्वारा कर 2023-24 हेतु विनियमित शर्तों के अन्तर्गत परीक्षा प्रवेश प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विनियमन प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2087-SUN INSTITUTE OF PHARMACY

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए030870सी0टी0ई0 पी0सी0आइ0 द्वारा कर 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा कर 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पर संख्या 311/16-3099/9/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 नव 2023 द्वारा पूर्व में स्थापित समस्त संस्थानों की जांच के दिवस नानवीय न्यायालय में याजित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में नानवीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैसी कन्सल्टिंग ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैसी कन्सल्टिंग ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, मानव, नैव उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, रेगुलेशन विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के अभाव में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुसरण आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि कर 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिकी काउन्सिल अंतर्गत प्रवेश परीक्षा, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अन्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिष्ठति संबंधी आदेश निरंतर किया जाता है तो समस्त प्रतिष्ठति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकेशन प्राप्त होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिकी काउन्सिल अंतर्गत प्रवेश परीक्षा, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपस्थित कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समक-समक पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिष्ठति, भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त जगहों पर उपलब्ध कराये के साथ रैजिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को अत्यंत जल्द हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अग्रिम, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बन्ध किया जाना) विधिसमाकूल्य, 2010 के प्रावधानानुसार परिषद् की भांग पर अपने कर्मचारियों, मजदूरों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्याप्तता, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एवं/अथवा/नहीं/अथवा/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निधमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

ए0स0- प्राशिप/परिषद् सम्बद्धता/2023
/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठति:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SUN INSTITUTE OF PHARMACY




(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव